

पौर बहादुर सिंह पूर्वान्वित विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
पौर बहादुर सिंह पूर्वान्वित विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03-(एक)/2018/ 9884
दिनांक :

२५-८-१८

सेवा में,

प्रबन्धक,
गौरी शंकर (जी०एस०) महाविद्यालय,
गौरीकलौं, खुन्सापुर,
जौनपुर।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014—2(97)/2014, दिनांक—01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक संशोधन (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में गौरी शंकर (जी०एस०) महाविद्यालय, गौरीकलौं, खुन्सापुर, जौनपुर को स्वयित्तपौष्टि योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक—01.07.2018 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है :-

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इरविषय में समय-संघरण पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या—5125/ 70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय संख्या—प्रदिविभागीय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा विस्तृत अन्तर्गत संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों के अनुसार पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—८22/सत्तर—2—2013—2(650)/2012, दिनांक—30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता को प्रदान की गयी सम्बद्धता दाप्त लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16 (33)/2015, दिनांक—12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय के वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचरण/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
8. उक्त सम्बद्धता प्रभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण—पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीप्त

16/07/18
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. अधीक्षक, शैक्षणिक को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक/आगोपनीय/परीक्षा विभाग।
6. टेलिकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव